

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-15/2015-75(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 24-07-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रु० से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकंपरोधी बनाने तथा वाटर हार्बेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए वेतन मद में 5.71 लाख रुपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹5,71,000 (पाँच लाख एकहत्तर हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3607 दिनांक-17.07.2015 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रु० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रु० से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकंपरोधी बनाने तथा वाटर हार्बेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए वेतन मद में 5.71 लाख रुपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹5,71,000 (पाँच लाख एकहत्तर हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,71,000 (पाँच लाख एकहत्तर हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- उप मुख्यशीर्ष-01 -फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उप शीर्ष-0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, विपत्र कोड-P2415017960104, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष -3104- सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

७५ (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 24-07-2015

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

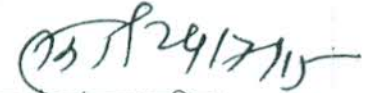
७५ (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 24-07-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।

